

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, कमरा नं. 315, तृतीय मंजिल,
जयपुर, राजस्थान

E- mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in

Contact no. 0141-2221670

क्रमांक :- डीसी/लेखा/2019/

दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान।

विषय :- लेखा/आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्बन्धित समस्त कार्यों की समीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु मय समस्त वांछित दस्तावेज एवं जानकारी सहित मुख्यालय, जयपुर पर उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न विवरणानुसार राजस्थान राज्य के समस्त सहायक औषधि नियंत्रको को निर्देशित किया जाता है कि लेखा /आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्बन्धित समस्त कार्यों की समीक्षा के लिए **अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में** मय समस्त वांछित दस्तावेज (बजट से सम्बन्धित दोनो प्लान एवं नॉन प्लान समस्त खर्च एवं बकाया इत्यादि का विवरण तालिका "अ" व "ब" अनुसार) एवं जानकारी सहित स्वयं उपस्थित होने की सुनिश्चितता करें। उल्लेखनीय है कि उक्त मीटिंग हेतु अपने साथ किसी भी कर्मचारी अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटर को साथ ना लावे।

सहायक औषधि नियंत्रक जोन मय जिला	दिनांक	समय
समस्त सहायक औषधि नियंत्रक जोन जयपुर-दौसा, अजमेर, अलवर, कोटा-बूंदी, भरतपुर-धौलपुर सीकर, झुझुनू, टोंक, झालावाड़-बांरा, भीलवाड़ा, नागौर एवं बांसवाड़ा-डूंगरपुर।	02 12 2019	9.30AM
समस्त सहायक औषधि नियंत्रक बीकानेर, उदयपुर-राजसमन्द, जोधपुर, पाली, बाडमेर-जैसलमेर, जालोर-सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, सवाईमाधोपुर-करौली एवं चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़।	03 12.2019	9.30AM

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोजना व्यय मद की BFC शीघ्र ही होने की सम्भावना को देखते हुये अब तक का आवंटित बजट (2019-20) नियमानुसार व्यय कर निम्नतालिकानुसार विवरण के साथ उपस्थित हों।

तालिका-अ

जिले का नाम :-

आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम:

क्र. स.	मद	प्लान (राशि रु. हजार में)			
		बजट आवंटित	खर्च	शेष	मांग यदि कोई हो मय कारण
1	01-संवेतन अ. नियमित वेतन ब. ऐरियर				
2	03-यात्रा व्यय				
3	04-चिकित्सा व्यय				
4	05-कार्यालय व्यय				
5	07-वाहन संधारण				
6	21-अनुरक्षण एवं मरम्मत				
7	22-सामग्री और प्रदाय				
8	41-संविदा व्यय				

तालिका-ब

जिले का नाम :-

आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम:

क्र. स.	मद	नॉन प्लान (राशि रु. हजार में)			
		बजट आवंटित	खर्च	शेष	मांग यदि कोई हो मय कारण
1	01-संवेतन अ. नियमित वेतन ब. ऐरियर				
2	03-यात्रा व्यय				
3	04-चिकित्सा व्यय				
4	05-कार्यालय व्यय				

5	18-मशीनरी और साज सामान				
6	19-विद्युत प्रभार एव जल व्यय				
7	20-वाहन सधारण				
8	22-सामग्री प्रदाय				
9	28-विविध व्यय				
10	36-वाहनों का किराया				
11	37-वर्दिया तथा अन्य सुविधाएँ				
12	41-संविदा व्यय				
13	60-भेषक और औषधियाँ				

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5 (थ-75) डीटीए /IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के क्रम में IFMS बजट, एवं पै-मैनेजर पर नवीनतम दिशानिर्देशों का प्रशिक्षण भी विभागीय स्तर पर दिया जावेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत, आरटीआई, विभिन्न शिकायते एवं विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए विवरण रिपोर्ट भी साथ लावें एव यदि कोई कार्यवाही किसी कारण वश आपके अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लम्बित है तो कारणों के विवरण सहित उपस्थित होवे।

नियमानुसार यात्रा-भत्ता देय होगा।

11
(राजा राम शर्मा)

औषधि नियंत्रक
राज, जयपुर

दिनांक : 22-11-2019

क्रमांक - डीसी/लेखा/2019/538

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. श्री सजय सिंघल एव श्री संजय पारीक लिंक ऑफिसर्स, औषधि नियंत्रण संगठन उक्त दिनांको को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
2. आहरण एव वितरण अधिकारी, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त समीक्षा मीटिंग/प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज/ जानकारी एव विवरण इत्यादि से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त अवगत करावें एवं उक्त मीटिंग हेतु अल्पाहार एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देशित करें एवं उक्त दिनांकों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
3. श्री राजकमल छीपा, सहायक औषधि नियंत्रक, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्पर्क पोर्टल, आरटी.आई से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की सूची जिलेवार मय अधिकारियों के नाम सहित सूची प्रस्तुत करे एवं उक्त दिनांकों को उक्त मीटिंग में उपस्थिति सुनिश्चित करे।
4. श्री सुभाष दादरवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि लम्बित विभिन्न शिकायतों के सम्बन्ध में रजिस्टर मय पूर्ण विवरण सहित जिलेवार अधोहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त अवगत करावें एवं उक्त दिनांको को मीटिंग में उपस्थित होवें।
5. सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार/लेखा शाखा, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त समीक्षा मीटिंग/प्रशिक्षण हेतु अपनी समस्त टीम सहित समस्त आवश्यक दस्तावेज/ जानकारी एवं विवरण इत्यादि से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त अवगत करावे एवं उक्त मीटिंग में सभी सम्बन्धितों की उक्त दिनांकों को उपस्थिति सुनिश्चित करे।
6. कार्यालय पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी सर्वर - र-म

22/11/19
(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज, जयपुर